रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-28072025-265013
CG-UP-E-28072025-265013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3327]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
No. 3327]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3404(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे (संशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्व अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में विशष रेल परियोजना, (उत्तर मध्य रेलवे के पं. दीन दयाल उपाध्याय–प्रयागराज खण्ड पर स्थित समपार संख्या 18 पर दो लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण) के बाबत ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्व कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित होंगें और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपो की सुनवाई करने

के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी प्रयागराज कोई और जांच, आवश्यक समझें, करने के पश्चात, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर मध्य रेलवे के पं. दीन दयाल उपाध्याय –प्रयागराज खण्ड पर स्थित लेवल कासिंग संख्या 18 पर 2 लेन रोड ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में आने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या रहित भूमी का संक्षिप्त विवरण।

क. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
1	2	3	4	5	6
1	मेजा	टिकरी	1 क (क) संकमणीय भूमिधर	541ग	0.0840
			NZ.A सड़क	540	–
			NZ.A सड़क	539	–
			रास्ता	538	0.0340
योग					0.1180
2	मेजा	जलैया	1 क (क) संकमणीय भूमिधर	105ग	0.0050
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	105ख	0.0090
			नहर	105क	0.0160
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	106क	0.0230
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	106ख	0.0110
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	107क	0.0170
			नवीन परती	107ख	0.0110
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	114क	0.0100
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	114ख	0.0210
			नवीन परती	114ग	0.0030
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	142	0.0110
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	141	0.0430
			1 क (क) संकमणीय भूमिधर	127क	0.0320
			नवीन परती	127ख	0.0140

			1 क (क) संक्रमणीय भूमिधर	126	0.0370
				योग	0.2630
	कुल योग				0.3810

[फा. सं. ई–फाईल नंबर : NCR फाईल नंबर NCR -HQ0ENGG (CORR)/11/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD

(कंप्यूटर नंबर 115592]

जे.सी.चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 7th July, 2025

S.O. 3404(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of clause 20A of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) and Railways Amendment act 2008 (11of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule Annexed hereto is required for the purpose of execution of special Railway Project (Construction of 2 lane ROB in lieu of L-Xing No.18 between Pt. Deen Dayal Upadhyay - Prayagraj section of North Central Railway) in the state of Uttar Pradesh here by declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Special Land Acquisition Officer, Prayagraj in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the competent Authority i.e. Special Land Acquisition Officer,Prayagraj thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by competent Authority under Clause 20D (3) sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land falling in Meja Tehsil of Prayagraj District for the construction of 2 lane ROB in lieu of L-Xing No.18 between Pt. Deen Dayal Upadhayay – Prayagraj section of NCR in the state of Uttar Pradesh, with or without infrastructure.

Sr. No.	Name of Tahsil	Name of Village	Type of Land	Gata No.	Acquired Area (in Hec.)
1	2	3	4	5	6
1	Meja	Tikari	1 A (A) Transferable Landholder	541C	0.0840
			Road NZA	540	-
			Road NZA	539	-
			Road	538	0.0340
	Total				0.1180

2	Meja	Jalaiya	1 A (A) Transferable Landholder	105C	0.0050
			1 A (A) Transferable Landholder	105B	0.0090
			Canal	105A	0.0160
			1 A (A) Transferable Landholder	106A	0.0230
			1 A (A) Transferable Landholder	106B	0.0110
			1 A (A) Transferable Landholder	107A	0.0170
			Navin Parati	107B	0.0110
			1 A (A) Transferable Landholder	114A	0.0100
			1 A (A) Transferable Landholder	114B	0.0210
			Navin Parati	114C	0.0030
			1 A (A) Transferable Landholder	142	0.0110
			1 A (A) Transferable Landholder	141	0.0430
			1 A (A) Transferable Landholder	127A	0.0320
			Navin Parati	127B	0.0140
			1 A (A) Transferable Landholder	126	0.0370
				Total	0.2630
Grant Total					0.3810

[F. No. e-file No. NCR File No. NCR -HQ0ENGG (CORR)/11/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD (Computer No. 115592)]

J.C. CHAURASIA, Principal Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.07.28 11:36:32 +05'30'